रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937
No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015 / JYAISTHA 13, 1937

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

सं. डीई–130–2014.–दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय दंत्य परिषद एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 29 जून, 2007 के मौजूदा मूल भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007 में निम्न संशोधन करती है:

1. **लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन**

(i) इन विनियमों को भारतीय दंत्य परिषद (विविध) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007" में क्रम संख्या 14 पर निम्न निरीक्षण क्रियाविधि सन्निविष्ट की जाएगी:

"14. <u>निरीक्षणों के लिए क्रियाविधि</u>

(i) निरीक्षण सर्वथा गोपनीय होना चाहिए।

(ii) समूचा निरीक्षण अनिवार्यतः वीडियोग्राफ होना चाहिए और साथ ही कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाना चाहिए।

(iii) परिषद के निरीक्षकों/परिदर्शकों को, किसी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार में प्रवृत्त पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई के संबंध में प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर अवश्य करने होंगे।

(iv) यदि किसी संकाय द्वारा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।